

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर प्रदेश, भारत की लगभग 17 प्रतिशत जनसंख्या के साथ सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है तथा भौगोलिक क्षेत्रफल (2,40,928 वर्ग कि.मी.) की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। प्रशासनिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश को 75 जिलों में विभाजित किया है। राज्य का जनसंख्या घनत्व¹, अखिल भारतीय औसत 418 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. के सापेक्ष 968 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. है। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2021-22 में वर्तमान मूल्य पर 2012-13 की तुलना में 9.51 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के साथ ₹ 18,63,221 करोड़ रुपये था। जीएसडीपी के दृष्टिकोण से, उत्तर प्रदेश देश की पांचवीं सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था रही। राज्य से सम्बंधित सामान्य आंकड़े **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समयावधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह उस समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति **तालिका 1.1** में दिए गए हैं।

तालिका: 1.1 वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रेणी)²

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जीडीपी	1,70,90,042	1,88,99,668	2,00,74,856	1,98,00,914	2,36,64,637
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.03	10.59	6.22	(-) 1.36	19.51
जीएसडीपी	14,39,925	15,82,180	17,00,273	16,48,567	18,63,221
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.73	9.88	7.46	(-) 3.04	13.02

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार


राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर 2017-18 से 2020-21 की अवधि में 11.73 प्रतिशत से घटकर (-) 3.04 प्रतिशत हो गई किन्तु उसके बाद वर्ष 2021-22 में बढ़कर 13.02 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसडीपी की विकास दर, जीडीपी की विकास दर से कम थी।

¹ भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या अनुमान 2011-2036, जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका 8 (जुलाई 2020), जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग।

² वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए मौजूदा कीमतों पर जीडीपी और जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया गया है, अतः 2017-18 से 2020-21 के लिए जीडीपी/जीएसडीपी के संदर्भ में विभिन्न मापदंडों के प्रतिशत अनुपात/उछाल जिन्हें विगत राज्य वित्त लेखापरीक्षा रिपोर्टों में वर्णित किया गया था, उनको संशोधित किया गया है।

अर्थव्यवस्था के बदलते ढांचे को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो क्रमशः कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से सम्बंध रखते हैं। 2021-22 में 2017-18 के साथ जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान की तुलनात्मक स्थिति और इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय विकास दर क्रमशः **चार्ट 1.1** और **चार्ट 1.2** में दी गई है।


चार्ट 1.1: 2017-22³ की अवधि में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (आर्थिक गतिविधियों द्वारा 2011-12 श्रेणी पर जीएसवीए / एनएसवीए)

नोट: कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, जलीय कृषि, खनन और उत्खनन शामिल हैं। उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाएं निर्माण शामिल हैं और सेवा (तृतीयक) क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, भू-सम्पदा, लोक प्रशासन और अन्य सेवाएं शामिल हैं।

चार्ट 1.2 : 2017-22 की अवधि में क्षेत्रवार वृद्धि दर



स्रोत:- भारत सरकार का सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।

³ उत्पाद करों के हिस्से से सब्सिडी को घटाकर (वर्ष 2017-18 में 8.08 प्रतिशत तथा वर्ष 2021-22 में 10.09 प्रतिशत)

चार्ट 1.1 और **चार्ट 1.2** से स्पष्ट है कि राज्य के जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र (42.42 प्रतिशत) का सबसे बड़ा योगदान था, इसके पश्चात् कृषि क्षेत्र (25.56 प्रतिशत) तथा औद्योगिक क्षेत्र (21.93 प्रतिशत) का स्थान है। पिछले वर्ष के दौरान सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र में मंदी के उपरांत वर्ष 2021–22 में सभी क्षेत्रों में विकास दर में वृद्धि हुई। जैसा कि इस रिपोर्ट के **अध्याय II** के **पैराग्राफ 1.4.1** में वर्णित है, कि राज्य ने पिछले वर्ष में ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे के बाद वर्ष 2021–22 के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेगा। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारम्भिक और सहायक लेखों तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखों की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है तथा उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे और राज्य के बजट अभिलेखों से प्रतिवेदन हेतु मुख्य आंकड़े प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आंकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस), तथा
- जीएसडीपी आंकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी;

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 बजट अनुमानों के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी), भारत सरकार की सर्वोत्तम प्रथाओं और दिशानिर्देशों के संदर्भ से भी विश्लेषण किया गया था। मसौदा प्रतिवेदन 28 सितंबर 2022 को राज्य सरकार को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2023)।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

एसएफएआर को निम्नलिखित पांच अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय- I	<p>विहंगावलोकन</p> <p>यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण और अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है तथा शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म-राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।</p>
-----------	--

अध्याय - II	<p>राज्य के वित्त</p> <p>यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।</p>
अध्याय - III	<p>बजटीय प्रबंधन</p> <p>यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है तथा राज्य सरकार के विनियोग और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है और बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर आख्या प्रस्तुत करता है। बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं प्रभावशीलता के संबंध में टिप्पणियों जैसे पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और विलोमतः, व्ययाधिक्य और उसका नियमितीकरण, नियमित बचतें, बचतों का विलंबित अभ्यर्पण, अनावश्यक पुनर्वियोजन से संबंधित टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।</p>
अध्याय - IV	<p>लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग की परम्परायें</p> <p>यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों हेतु निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ लेखे की पूर्णता, पारदर्शिता और माप के सम्बन्ध में टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।</p>
अध्याय -V	<p>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)</p> <p>यह अध्याय पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, पीएसयू द्वारा लेखा प्रस्तुत करने, अकार्यरत पीएसयू, पीएसयू के निवल मूल्य के क्षरण और विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के बकाये की चर्चा करता है।</p>

1.4 शासकीय लेखों की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों के लिये प्रक्रिया के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण का पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि (भारित व्यय) पर एक प्रभार होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय का प्राधिकार लंबित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निवर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति, राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित करके की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266(2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय, जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अंतिम लेखांकन लंबित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपयोग हेतु उपलब्ध निधि, जो कि संवितरण उपरांत शेष है। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाय। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखों पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में कर-राजस्व (स्वयं का कर-राजस्व, संघ करों/शुल्कों का अंश), गैर-कर राजस्व और भारत सरकार से अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए सहायता अनुदान (चाहे कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से संबंधित है।

पूँजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थापाय अग्रिम, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली, आदि।

पूँजीगत व्यय को मुख्य तौर पर एक भौतिक और स्थायी प्रकृति की वास्तविक परिसम्पत्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, पीएसयू में निवेश पर खर्च शामिल है।


वर्तमान में, सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
महालेखा नियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी संघ और राज्यों के लेखाओं के मुख्य और लघु शीर्षों (एलएमएमएच) की सूची में मानकीकृत	कार्य-शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि / विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)

राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक शीर्ष –वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण से विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान में सहायता मिलती है। आर्थिक वर्गीकरण, इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण, 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक आधार द्वारा प्राप्त होता है। मानक शीर्ष बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3 शासकीय लेखे की संरचना



वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तांकित किया जाता है, जिसको कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा तैयार किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखों के साथ-साथ, राजस्व और पूंजीगत लेखों द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखों में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता तथा परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे, सामान्यतः (कुछ अपवादों समेत) लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय से कम करके लेखांकन के पश्चात् दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय

अनुदानों और भारत विनियोगों की राशियों के सापेक्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे, निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं तथा वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का एक विवरण रखना होता है, जिसे **वार्षिक वित्तीय विवरण** कहा जाता है। अनुच्छेद 203 के अनुसार राज्य विधानमंडल के समक्ष अनुदानों/विनियोजनों की मांगों के रूप में विवरण प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के बाद, विनियोग विधेयक अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा पारित किया जाता है ताकि आवश्यक धनराशि का संचित निधि से विनियोग किया जा सके।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल, बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमान तैयार करने और अपनी व्यय गतिविधियों की निगरानी करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के **अध्याय III** में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.2 में वर्ष 2021–22 के बजट अनुमानों, वास्तविक वित्तीय परिणामों का 2020–21 के वास्तविक वित्तीय परिणामों की तुलना में वर्ष 2021–22 के लिए बजट अनुमान तथा वास्तविक वित्तीय परिणामों के साथ विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.2: बजट अनुमानों के सापेक्ष 2021–22 के वास्तविक आँकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	2021-22 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2021-22 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	कर राजस्व जिसमें	2,26,584.31	3,05,740.30	3,07,725.79	100.65	16.52
(i)	स्वकर राजस्व	1,19,897.30	1,86,345.00	1,47,367.74	79.08	7.91
(ii)	केंद्रीय करों/शुल्कों का हिस्सा	1,06,687.01	1,19,395.30	1,60,358.05	134.31	8.61
2.	गैर-कर राजस्व	11,846.15	25,421.67	11,435.97	44.99	0.61
3.	भारत सरकार से सहायता अनुदान	57,745.87	87,178.47	51,849.68	59.48	2.78
4.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3)	2,96,176.33	4,18,340.44	3,71,011.44	88.69	19.91
5.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति)	1,134.73	2,332.00	939.43	40.28	0.05
6.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	86,858.87	85,509.40	75,751.19	88.59	4.07
7.	पूंजीगत प्राप्तियां (5+6)	87,993.60	87,841.40	76,690.62	87.31	4.12
8.	कुल प्राप्तियां (4+7)	3,84,169.93	5,06,181.84	4,47,702.06	88.45	24.03
9.	राजस्व व्यय, जिसमें	2,98,543.46	3,95,130.35	3,37,581.38	85.44	18.12
10.	ब्याज भुगतान	37,428.48	43,529.81	42,875.56	98.50	2.30

क्रम संख्या	घटक	2020-21 (वास्तविक)	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)	2021-22 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2021-22 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
11.	पूँजीगत व्यय और अन्य व्यय (राजस्व खाते के बाहर) जिनमें से	53,389.71	1,16,271.89	73,655.91	63.35	3.95
12.	पूँजीगत व्यय	52,237.10	1,13,767.70	71,442.55	62.80	3.83
13.	ऋण और अग्रिम का संवितरण	1,152.61	1,904.19	1,613.36	84.73	0.09
14.	आकस्मिकता निधि में विनियोग	Nil	600.00	600.00	100.00	0.03
15.	कुल व्यय (9+11)	3,51,933.17	5,11,402.24	4,11,237.29	80.41	22.07
16.	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4-9)	(-)2,367.13	23,210.09	33,430.06	144.03	1.79
17.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (4+5-15)	(-)54,622.11	(-) 90,729.80	(-)39,286.42	43.30	2.11
18.	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष ⁴ (+) {(4+5) – (15-10)}	(-) 17,193.63	(-)47,199.99	3,589.14	-	0.19

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

राज्य ने वर्ष 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 2,367.13 करोड़ रुपये तथा ₹ 54,622.11 करोड़ रुपये का राजस्व और राजकोषीय घाटा दर्ज किया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य ने क्रमशः ₹ 33,430.06 करोड़ तथा ₹ 39,286.42 करोड़ का राजस्व अधिशेष और राजकोषीय घाटा दर्ज किया है। इसके अलावा, राज्य ने पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में कम ऋण (12.79 प्रतिशत की कमी) लिया, जबकि राज्य के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 16.85 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

जैसा कि पैराग्राफ 2.4.2.2 में बताया गया है, वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण राजस्व की हानि के मामले में राज्यों को राजस्व प्रतिपूर्ति का प्रावधान है, जो राज्य का एक राजस्व है। यद्यपि, वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 8,299.42 करोड़ की जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, राज्य सरकार ने भारत सरकार से राजस्व में कमी के बदले, जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष⁵ में अपर्याप्त शेष राशि के कारण, राजस्व क्षतिपूर्ति हेतु ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियां (बैंक-टू-बैंक ऋण) भी प्राप्त कीं। इस ऋण का पुनर्भुगतान जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष में उपकर के संग्रह से की जाएगी और इसलिए, पुनर्भुगतान दायित्व राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जायेगा। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ के राजस्व अधिशेष और ₹ 39,286.42 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी प्रतिपूर्ति के बदले में ₹ 8,139.94 करोड़ की ऋण प्राप्तियों के संयोजन के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

सरकारी लेखे, सरकार की वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से सृजित परिसंपत्तियों को दर्ज करते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण

⁴ प्राथमिक घाटा/अधिशेष, अर्थात् राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान को घटाकर।

⁵ जीएसटी क्षतिपूर्ति कोष भारत के लोक लेखा का भाग है जैसा की वस्तु एवं सेवाकर (राज्यों की क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 10 (1) में दिया गया है।

और अग्रिम, लोक लेखे से प्राप्तियां और आरक्षित निधियां शामिल हैं और संपत्ति में मुख्य रूप से पूंजी परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम और नकद शेष शामिल हैं।

31 मार्च 2021 की तुलना में 31 मार्च 2022 को देयताओं और परिसंपत्तियों का सार तालिका 1.3 में दिया गया है।

तालिका 1.3: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसम्पत्तियां					
विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत	विवरण	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	वृद्धि/कमी का प्रतिशत		
संचित निधि									
अ	आंतरिक ऋण	4,58,552.23	4,96,422.89	8.26	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	6,34,102.22	7,05,544.77	11.27
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	18,106.74	27,261.33	50.56	ब	ऋण और अग्रिम	27,206.86	27,880.79	2.48
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि (कार्पस)	600.00	1,200.00	100.00	आकस्मिकता निधि (गैर प्रतिपूर्ति)	100.00	600.00*	500.00		
लोक लेखा									
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि।	58,789.41	59,314.53	0.89	अ	अग्रिम	58.58	58.58	0.00
ब	निक्षेप	25,496.10	24,037.36	(-) 5.72	ब	प्रेषण	125.05	103.99	(-)16.84
स	आरक्षित निधि	5,027.19	8,920.20	77.44	स	उचन्त एवं विविध कोष	3,212.06	1,750.95	(-)45.49
द	प्रेषण	0.00	0.00	0.00	नकद कोष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)	31,652.77	44,533.16	40.69	
य	व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	1,29,885.87	1,63,315.93	25.74	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य	0.00	0.00	0.00	
योग		6,96,457.54	7,80,472.24		योग	6,96,457.54	7,80,472.24		

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

* यह 2021-22 के दौरान कोष के कॉर्पस को बढ़ाने के लिए आकस्मिकता निधि में स्थानांतरित किया गया है।

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल देयताओं का अर्थ है राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखा के तहत देयतायें। 31 मार्च 2021 को राज्य की कुल देनदारियां ₹ 5,64,971.68 करोड़ थी जो 31 मार्च 2022 को बढ़कर ₹ 6,12,956.33 करोड़ हो गई। आंतरिक ऋण में 8.26 प्रतिशत की वृद्धि (₹ 37,870.66 करोड़) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में 50.56 प्रतिशत (₹ 9,154.59 करोड़) की वृद्धि में, कुल देयताओं में वृद्धि के लिए मुख्य कारक थे। यद्यपि, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम की वृद्धि में जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले ₹ 8,139.94 करोड़ का बैक-टू-बैक ऋण शामिल है, जिस पर राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर निधि के संग्रह से चुकाया जाना है। राज्य सरकार के ऋण प्रबंधन का विवरण इस रिपोर्ट के अध्याय II में दिया गया है।

1.5 राजकोषीय अवशेष : घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 का उद्देश्य सावधानीपूर्वक राजकोषीय प्रबंधन

सुनिश्चित करना था जिसमें राजस्व घाटे को समाप्त कर, राजकोषीय घाटे को कम करके, अच्छा ऋण प्रबंधन स्थापित कर, एवं राज्य सरकार के राजकोषीय संचालन की पारदर्शिता में सुधार कर, एक मध्यम अवधि राजकोषीय ढांचा अधिनियमित किया गया था। इस संदर्भ में यह अधिनियम, घाटे के उपायों और ऋण स्तर के संबंध में राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों को निर्धारित करता है।

समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में प्रदान किए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के अन्तर्गत 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	12,552	28,250	67,560	(-) 2,367	33,430
		✓	✓	✓	X	✓
राजकोषीय घाटा (-) / अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	2019-20 तक अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत, 2020-21 के लिए पांच प्रतिशत और 2021-22 के लिए चार प्रतिशत से अधिक नहीं	(-) 27,810 (1.93)	(-) 35,203 (2.22)	11,083 (0.65)	(-) 54,622 (3.31)	(-)39,286 (2.11)
		✓	✓	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2017-18 और 2018-19 के दौरान 30.50 प्रतिशत और 2019-20 के दौरान 30.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	32.49	32.75	29.55	33.91*	32.14*
		X	X	✓	वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत जीएसडीपी के सापेक्ष ऋण स्टॉक का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था।	

स्रोत: राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय-समय पर संशोधित रूप में यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* 2020-21 के दौरान ₹ 6,007 करोड़ और 2021-22 के दौरान ₹ 8,139.94 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण जो जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त हुए, उसे जीएसडीपी व बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए बाहर रखा गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण⁶ के अनुसार, इन ऋणों को वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किसी भी मानदंड के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

जैसा कि लेखों में दर्शाया गया है, राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात यूपीएफआरबीएम (संशोधन) अधिनियम, 2021 में निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था। अग्रेतर, राज्य सरकार ने सूचित किया (फरवरी 2023) कि राज्यों के राजकोषीय रोड मैप के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के निर्देश प्राप्त करने के बाद जीएसडीपी में ऋण स्टॉक के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करने की कार्यवाही की जायेगी। यद्यपि, कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.14 प्रतिशत) जो वर्ष 2021-22 के लिए सांकेतिक ऋण सूचक के रूप में पन्द्रहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशासित सीमा (जीएसडीपी का 40 प्रतिशत) के भीतर था।

⁶ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र सं० फ० सं० 40(I) पीएफ-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसम्बर-2021।

1.5.1 मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी, निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय प्रवाहित लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थिति: एमटीएफआरपी में अनुमानित लक्ष्यों के सापेक्ष वास्तविक

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2022 में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2021-22 के वास्तविकों की तुलना **तालिका 1.5** में दर्शायी गई है।

तालिका 1.5: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2021-22 के वास्तविक अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय घटक	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2021-22)	विचलन (प्रतिशत में)
1	स्वयं का कर राजस्व	1,86,345.00	1,47,367.74	(-)20.92
2	करेतर राजस्व	25,421.67	11,435.97	(-)55.01
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1,19,395.30	1,60,358.05	34.31
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	87,178.47	51,849.68	(-)40.52
5	राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)	4,18,340.44	3,71,011.44	(-)11.31
6	राजस्व व्यय	3,95,130.35	3,37,581.38	(-)14.56
7	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	23,210.09	33,430.06	44.03
8	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)90,729.80	(-)39,286.42	(-)56.70
9	प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 47,199.99	3,589.14	(-)107.60
10	ऋण स्टॉक-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	28.1	32.14*	14.37
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) ⁷	12.00	13.02	8.50

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख।

* भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्राप्त ₹ 14,146.94 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को हटाने के बाद ऋण स्टॉक का जीएसडीपी से अनुपात निकाला गया है।

जैसा कि **तालिका 1.5** में अवलोकनीय है, 2021-22 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 23,210.09 करोड़ के राजस्व अधिशेष के प्रक्षेपण के विरुद्ध, राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 33,430.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष दर्ज किया है, जो मुख्य रूप से केंद्रीय करों/ शुल्कों में एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में ₹ 40,962.75 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ। यद्यपि, एमटीएफआरपी अनुमानों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में ₹ 47,329 करोड़ (11.31 प्रतिशत) की कमी थी, जो स्व-कर राजस्व (₹ 38,977.26 करोड़), करेतर राजस्व (₹ 13,985.70 करोड़) तथा भारत सरकार से सहायता अनुदानों (₹ 35,328.79 करोड़) की एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में कम प्राप्तियों के कारण था। आगे के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्व-कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 18,691 करोड़) के मद में थी, इसके बाद कमी के

⁷ एमटीएफआरपी 2021 में, राज्य सरकार ने वर्ष 2021-22 के लिए ₹ 21,73,390 करोड़ रुपये के जीएसडीपी का अनुमान लगाया था।


कारण, राज्य आबकारी शुल्क (₹ 5,180 करोड़), स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क (₹ 5,452 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 4,042 करोड़), बिजली पर कर और शुल्क (₹ 3,384 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 1,574 करोड़) और भूमि राजस्व (₹ 667 करोड़) थे।

एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में (₹ 57,548.97) करोड़ की राजस्व व्यय में कमी सामान्य सेवाओं (₹ 29,075.86 करोड़), सामाजिक सेवाओं (₹ 22,876.86 करोड़), आर्थिक सेवाओं (₹ 5,596.22 करोड़) क्षेत्रों के तहत कम व्यय के कारण थी। प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य सरकार की प्राप्तियों और व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया है।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2017-22 की अवधि के लिए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों का रुझान विश्लेषण, घाटे के मानक (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष और प्राथमिक घाटा/अधिशेष), अधिशेष/घाटे का जीएसडीपी से एक राजकोषीय देयताओं के जीएसडीपी से अनुपात की प्रवृत्ति के विश्लेषण को निम्नांकित चार्ट 1.4 से 1.6 में दर्शाया गया है।


चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटे के मानकों की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष और राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में सिंकिंग फंड के ₹ 71,180 करोड़ के बुक बैलेंस को वास्तविक नकद प्राप्ति के बिना गैर-कर राजस्व में स्थानांतरित करने के कारण थे।

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं⁸ एवं जीएसडीपी की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

8 राजकोषीय देयताओं में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसडीपी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में बैंक-टू-बैंक प्राप्त ऋण शामिल हैं ताकि संबंधित वर्षों के लिए वित्त खातों के आंकड़ों का मिलान किया जा सके। यद्यपि, चार्ट में जीएसडीपी प्रतिशत के कुल ऋण में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान जीएसडीपी क्षतिपूर्ति कमी के बदले में बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल नहीं है।

बढ़ते आंतरिक ऋण के कारण, 2019-20 को छोड़कर कुल बकाया देनदारी, वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक लगातार बढ़ी है। जबकि करेतर राजस्व के रूप में ₹ 71,180 करोड़ की निक्षेप निधि के हस्तांतरण के कारण लोक लेखा देयता कम हो गई थी।

2021-22 के दौरान, राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं में, पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 47,984 करोड़ (8.49 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2017-22 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत ऋण⁹ में 24.29 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो ₹ 21,358 (2017-18) से बढ़कर ₹ 26,546 (2021-22) हो गयी। यद्यपि, 31 मार्च 2022 को ₹ 6,12,956 करोड़ की बकाया राजकोषीय देनदारियों के सापेक्ष, भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,146.94 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर राज्य की प्रभावी बकाया वित्तीय देनदारियां ₹ 5,98,809 करोड़ होगी। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में मिले ऋण के लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

1.6 लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा एवं ऋण की स्थिति, दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा संघ सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के रूप में कोई अग्रतर वित्तीय सहायता प्रदान करते समय भी गम्भीरता से देखा जाता है। राज्य के वित्त का उत्तम चित्रण करने हेतु राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण एवं गैर बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है, निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त – घाटा/अधिशेष

कुछ प्रकरणों यथा राजस्व व्यय का पूंजीगत एवं विपरीत रूप से गलत वर्गीकरण, 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' में राशि का हस्तांतरण न करना, ब्याज सहित आरक्षित निधियों में ब्याज का जमा न किया जाना आदि जिनकी चर्चा प्रतिवेदन के उत्तरगामी अध्यायों में की गई है, उनका वित्त लेखा 2021-22 में दर्शाए गये राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा है। वास्तविक घाटे का आँकड़ों पर पहुँचने के लिये, उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव को समाहित करने एवं वास्तविक घाटे का पता लगाने के लिये उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व अधिशेष का अतिरेक व राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति क्रमशः ₹ 1,171.29 करोड़ और ₹ 1,040.80 करोड़ प्रदर्शित किया गया है जिसे तालिका 1.6 में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव के परिणाम तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: लेखापरीक्षा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
समेकित निक्षेप निधि में कम अंशदान (प्रस्तर 2.8.2.1 में सन्दर्भित)	734.32	-	-	734.32

9 ऋण को प्रक्षेपित जनसंख्या से भाग देकर, माह मार्च के प्रथम दिवस को अर्थात् वर्ष 2017-18 के लिए 1 मार्च 2017 की प्रक्षेपित जनसंख्या को गणना में शामिल किया गया है।

राज्य आपदा अनुक्रिया कोष में देय ब्याज का न जमा करना (प्रस्तर 2.8.2.3 में सन्दर्भित)	74.99	-	-	74.99
राज्य प्रतिपूरक वनीकरण कोष में ब्याज जमा नहीं किया जाना (प्रस्तर 2.8.2.5 में सन्दर्भित)	50.43	-	-	50.43
राजस्व से पूंजीगत और इसके विपरीत व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण। (प्रस्तर 3.2.2 में सन्दर्भित)	130.49	-	-	-
भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर का कम अंतरण (प्रस्तर 4.1.1 में सन्दर्भित)	30.77	-	-	30.77
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना की शेष राशि पर ब्याज जमा नहीं किया जाना (प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)	27.25	-	-	27.25
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत कोष की स्थापना नहीं होने के कारण धनराशि का इस कोष में स्थानांतरित नहीं किया जाना (प्रस्तर 4.4 में सन्दर्भित)	123.04	-	-	123.04
शुद्ध प्रभाव	₹ 1,171.29 करोड़ (राजस्व अधिशेष का अतिरेक)		₹ 1,040.80 करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)	

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22 और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति / अतिरेक	वास्तविक / लेखा परीक्षा जांच के उपरान्त
1	2	3	4	5 = 3 - 4
1	राजस्व अधिशेष (+)/ घाटा (-)	33,430.06	1,171.29	32,258.77
2	राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 39,286.42	1,040.80	(-) 40,327.22

स्रोत: लेखापरीक्षा विश्लेषण

1.6.2 लेखापरीक्षा उपरान्त – कुल लोक ऋण

ऋण के सामान्य घटकों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण आदि के अतिरिक्त 'कुल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर बजट ऋण भी सम्मिलित हैं। गैर-बजट ऋण या गैर-बजट वित्तपोषण सामान्यतः किसी विशेष वर्ष या वर्षों में व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में अनुदान/विनियोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, अतः विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। तथापि, सरकार को अपने बजट से ऋणों का पुनर्भुगतान करना होता है।

राज्य सरकार, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिये उत्तरदायी होने पर भी, राज्य सरकार के विभिन्न पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से ऋणों को बजट से बाहर प्रदर्शित कर नियत निर्धारित शुद्ध ऋण सीमा की उपेक्षा कर सकती है। बजट में प्रकट किये बिना ऐसे देयताओं का सृजन पारदर्शिता और अन्तर-पीढ़ीगत साम्यता दोनों पर प्रश्नचिह्न उठाता है। ऐसे गैर-बजट ऋणों को बजट अभिलेखों में प्रकटीकरण विवरणों या लेखे में नहीं लिया जाता है और न ही उन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा की जांच से ज्ञात हुआ कि 2017-18 और 2020-21 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने अतिरिक्त बजट ऋण का सहारा लिया जिस पर प्रतिवेदन के पैराग्राफ 4.2 में विस्तार से चर्चा की गई। 31 मार्च 2022 तक, ₹ 19,495.61 करोड़ का अतिरिक्त बजट ऋण बकाया था, जिसका राज्य के समग्र ऋण स्टॉक पर प्रभाव पड़ा, जैसा कि तालिका 1.8 में दिया गया है।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के उपरान्त समग्र ऋण

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	लेखे के अनुसार समग्र ऋण (31.03.2022 को)	6,12,956.33*	32.14*
2.	अतिरिक्त बजट ऋण के कारण ऋण की न्यूनोक्ति (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	19,495.61	1.04
	योग	6,32,451.94	33.18

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22 एवं संबंधित पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त सूचनायें

* वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त ₹ 14,146.94 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को छोड़कर जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में, जिसके लिए राज्य की कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है, प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹ 5,98,809.39 करोड़ होगा।

तालिका 1.8 से यह स्पष्ट है कि अतिरिक्त बजट ऋण के कारण ऋण स्टॉक का जीएसडीपी से अनुपात 32.14 प्रतिशत से बढ़कर 33.18 प्रतिशत हो गया था।